न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 65/2018

महावीर पुत्र दुर्गाराम जाति सुथार निवासी 22 एम.एल. ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर। —रेस्पॉडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 31.05.2018

उपस्थितिः—

श्री विक्रम बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी
श्री महावीर धारणीया राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 28.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार श्रीगंगानगर ने एक प्रा.पत्र न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ.की धारा 177 के तहत पेश कर कथन किया कि चक 22 एम.एल. के मु.नं. 55 के कि.नं. 4, 5 की 0.462ह0 भूमि अप्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज है। जिस पर अप्रार्थी द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के अकृशि कार्य किया जा रहा है।

अप्रार्थी ने जबाव प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि मौका पर कोई सडक नहीं बनी हुई है। कृषि भूमि की देखभाल के लिए सिर्फ मकान बना रखे हैं जिसमें मुजारों की रिहाईश है। मकान बनने की कृषि भूमि की भू रूपांतरण की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में चल रही है। शेष भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 31.05.2018 को विवादित भूमि को राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज करने के आदेश दिये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

28/6/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कोई अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। कुछ भूमि पर मुजारों के लिए मकान बना रखे हैं। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। पत्रावली लोक अदालत में रखने की सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। बिना किसी आधार के प्रा.पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि को सिवाय चक घोषित करने का आदेश दिया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार को रिपोर्ट पेश की गई जिस पर तहसीलदार ने अधी. न्यायालय में प्रा.पत्र पेश किया। विवादित भूमि पर कृषि से अकृषि कार्य किया जा रहा है। अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का भूमि रूपांतरण करवाने का साक्ष्य पेश नहीं किया। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर को रिपोर्ट पेश करने पर तहसीलदार द्वारा अधी. न्यायालय में 177 आर.टी.ए. का प्रा.पत्र पेश किया जिसका जबाब अपीलांट द्वारा अधी. न्यायालय में पेश किया। अधी. न्यायालय द्वारा दावा एवं जबाब दावा के आधार पर बिना तनकीयात कायम किये एवं पत्रावली को कैम्प गणेशगढ में रखकर निर्णय पारित किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना पारित किया गया है एवं पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि जिससे यह साबित हो कि कृषि भूमि से अकृषि कार्य किया जा रहा हो। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट से उक्त तथ्य साबित नहीं होता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अगर कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ ध्यान में आने पर राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए की कार्यवाही की जाकर धारा 91 की प्रकिया अपनाकर अकृषि कार्य को हटाये जाने का विकल्प उपलब्ध है।

28/6/18

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2018 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/6/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर